झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–332/2005– /राँची/दिनांक...............

प्रेषक:

ई॰ मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड,
पो॰–हिनू, राँची।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषय: **पुनासी जलाशय योजना के लिये रुपये 79772.25 लाख (सात सौ सत्तानवे करोड़ बहत्तर लाख पच्चीस हजार) के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत्

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के प्रक्षेत्राधीन पुनासी जलाशय योजना देवघर जिला के देवघर प्रखंड के अजय नदी पर निर्माणाधीन पुनासी जलाशय योजना के कार्य हेतु रू॰ 79772.25 लाख (सात सौ सत्तानवे करोड़ बहत्तर लाख पच्चीस हजार) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता खरीफ में 15384 हे॰ एवं रब्बी में 8907 हे॰ है, जिसमें झारखण्ड राज्य अन्तर्गत देवघर जिले के देवघर, मोहनपुर एवं सारवाँ प्रखण्ड तथा दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखण्ड में 13182 हे॰ खरीफ एवं 8907 हे॰ रब्बी सिंचाई की जा सकेगी। इस प्रकार झारखण्ड में कुल 20788 हे॰ सिंचाई दी जा सकेगी। 2202 हे॰ खरीफ सिंचाई बिहार राज्य के बाँका जिले में चानन एवं कटोरिया प्रखण्ड में दी जायेगी।
3. द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन में पूर्व के पुनरीक्षित प्राक्कलन के सापेक्ष मूल स्वरूप में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है। योजना के नहर निर्माण के दौरान कार्य स्थल की वर्त्तमान स्थिति के अनुसार 20 F-C.D. (Cross-Drainage) संरचना एवं 28 G-Bridge की संख्या में बढोत्तरी हुई है तथा आवश्यकतानुसार कुछ संरचनाओं का स्थान परिवर्त्तन हुआ है।
4. योजना के मिट्टी बाँध का 70% स्पीलवे का 30% एवं मुख्य नहर का 45% भौतिक कार्य पूरा हो गया है। रीवर क्लोजर का कार्य शेष है। रीवर क्लोजर एवं स्पीलवे का कार्य पूरा हो जाने पर योजना से सिंचाई प्रारंभ की जा सकती है।
5. योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने हेतु राज्य योजना मद से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। योजना पर मार्च 2016 तक रू॰ 217.66 करोड़ का व्यय हुआ है। योजना पूर्ण करने हेतु रू॰ 797.7225–217.66 करोड़ रूपये = 580.0625 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। वर्षवार राशि की आवश्यकता निम्नवत् है :–

वर्ष 2016–17	:–	**रू॰ 50.00 करोड़**
वर्ष 2017–18	:–	**रू॰ 250.00 करोड़**
वर्ष 2018–19	:–	**रू॰ 280.0625 करोड**

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर होंगे तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजना के लिये कार्यरत सभी कार्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता होंगे।

7. इस योजना पर होने वाला यह व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा।

(i) मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप.मुख्य शीर्ष–80 सामान्य लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियाँ के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–62–मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–मुख्य निर्माण कार्य।

(ii) मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप.मुख्य शीर्ष–80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–62–मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2016–17 के लिये बजट प्रावधान निम्नवत् है:–

a. शीर्ष 49P-4701-80-789-62-05-45 में रू० 3700.00 लाख

b. शीर्ष 49P-4701-80-796-62-05-45 में रू० 1500.00 लाख

8. कार्य के कार्यान्वियन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. प्रस्तावित कार्य के लिए लिये राशि की निकासी देवघर कोषागार, देवघर से की जायेगी।

11. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

13. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक–1/पी० एम० सी०/कार्य–332/2005– /राँची/दिनांक...............

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–332/2005– /राँची/दिनांक................

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, देवघर कोषागार, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

41/16-17 ई॰ वि॰

पत्रांक–1/पी॰ एम॰ सी॰/कार्य–332/2005– /राँची/दिनांक 16.08.2016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, देवघर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल जसीडीह/कार्यपालक अभियंता, पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी शिविर–देवघर/पुनासी स्पीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर–देवघर/सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह/सिंचाई प्रमण्डल, देवघर/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/16
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)
16/08/16